न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 436/2016/डिक्री

1. किशोरलाल पिता शंकर जाट
2. फेफा पुत्री शंकर जाट
3. हंगामी पुत्री शंकर जाट
4. जमनी पुत्री शंकर जाट
5. तुलसी बेवा शंकर जाट

सभी निवासी गुलजी का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. छोगालाल पिता किशना जाट
   निवासी गुलजी का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
2. राज्य जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 13.07.2016 प्रकरण सं. 126/2015

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री पूरणमल मेनारिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1

निर्णय दिनांक– 06.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलान्टगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निवासी गुलजी का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ की आराजी नम्बर 55 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 57 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा व मौजा निवासी गुलजी का खेडा की आराजी नम्बर 37,38,39 के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट वादी के पिता किशना व अपीलान्टगण के पिता शंकर के संयुक्त खातेदारी की होकर आराजी नम्बर 37,38,39 मे शंकर पिता वरदा का 1/3 हक व हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। जिसके

परिवर्तित आराजी नम्बर 68, 69, 70 हो चुके है, किशना एवं शंकर दोनो एक ही परिवार के होकर रेस्पोडेन्ट वादी छोगालाल किशना का पुत्र होकर एकमात्र वारिस है। अपीलान्टगण संख्या 1 से 5 शंकर के वारिसान है। किशना एवं शंकर के बीच आराजीयात को लेकर मौखिक विभाजन काफी अर्से पूर्व होकर विभाजन के अनुसार किशना के हक व हिस्से की आराजी नम्बर 55,57 पर अपीलान्ट प्रतिवादीगण के पिता शंकर पिता वरदा को दे दी व किश्ना पिता वरदा के साबिक आराजी नम्बर 37,38,39 दे दी। दोनो भाई इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर आराजी नम्बर 55,57 पर अपीलान्टस के पिता शंकर व आराजी नम्बर 37,38,39 के तीसरे हिस्से पर किशना पिता बरदा 40 वर्षो से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उसी अनुसार सम्पूर्ण आराजीयात मे से आराजी नम्बर 37,38,39 जिसके नवीन आराजी नम्बर 67,68,69 मे से 1/3 हक व हिस्सा मे अपीलान्ट प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दर्ज किया जावे। उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30/12/2015 को तामीले जारी की गयी जो प्रोपर तामील नही हुई। अपीलान्टगण के विरूद्ध प्रकरण मे एक तरफा कार्यवाही की जाकर उक्त प्रकरण को बिना साक्ष्य सबूत के लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना अपीलान्ट की उपस्थित व तामील के बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत मे तहत निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

2. अपीलान्टस को लोक अदालत का किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया एवं न ही अपीलान्टस लोक अदालत मे उपस्थित ही हुए, फिर भी रेस्पोडेन्ट वादी ने गलत व्यक्ति को उपस्थित कर आदेशिका पर अपीलान्ट संख्या 1 के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर वादपत्र डिक्री करवा लिया। जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अपनी खातेदारी की आराजीयात के सम्बन्ध मे घोषणा का वादपत्र था, व रेस्पोडेन्ट वादी ने अपने वादपत्र मे यह कही अंकित नही करवाया कि उक्त आराजीयात बंटवाडे के तहत रेस्पोडेन्ट वादी को प्राप्त हुई है। जबकि पक्षकारान

के मध्य सन् 1986 मे ही बंटवाडा होकर पैतृक सम्पत्ति की आराजीयात का खाता अलग अलग हो चुका था व साबिक आराजी नम्बर 37,38,39 अपीलान्ट के पिता शंकर पिता वरदा के खरीदशुदा होकर अपीलान्टस के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्टस के खातेदारी मे होकर अपीलान्टस के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए उक्त आराजीयात को पैतृक सम्पत्ति होना मानते हुए बिना किसी साक्ष्य सबूत व राजीनामे के वादपत्र डिक्री कर दिया जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट बाद जानकारी अन्दर मियाद पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13/07/2016 को निरस्त फरमायी जाने की डिक्री प्रदान करायी जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि दावे की कलम संख्या 4 मे मौखिक विभाजन होने का उल्लेख है। किशना एवं शंकर सगे भाई है। छोगालाल किशना का एकमात्र वारिस है। किशना की पत्नि की मृत्यु हो गई तथा एक भाई गोद चला गया है। बहनो ने हक परित्याग कर दिया है। शंकर व किशना के बीच पूर्व मे भी बंटवाडे को लेकर दावा पेश किया गया था जिसका प्रकरण संख्या 23 था जिसमे दिनांक 02/07/1986 को निर्णय पारित हुआ था जिसको किसी ने आज तक चेलेन्ज नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे दावा 20/04/2016 को साक्ष्य के लिये निर्धारित था इसी बीच इसे निर्णित कर दिया गया। विवादग्रस्त भूमि जिस गांव की है उसका पंचायत मुख्यालय नपावली है जबकि निर्णय खोडी मे पारित किया है। लोक अदालत मे किसी प्रकार राजीनामा प्रस्तुत नही हुआ है। उन्होने अपने हक मे आरएलडब्ल्यु 2008 पार्ट–2 पृष्ठ 975 की नजीर पेश की तथा आग्रह किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. वकील रेस्पोडेन्ट ने लिखित मे बहस प्रस्तुत कि जिसमे उल्लेख किया गया है कि निवासी गुलजी का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ की आराजी नम्बर 55 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 57 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा व मौजा निवासी गुलजी का खेडा की आराजी नम्बर 37,38,39 के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन

किया कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट वादी के पिता किशना व अपीलान्टगण के पिता शंकर के संयुक्त खातेदारी की होकर आराजी नम्बर 37,38,39 मे शंकर पिता वरदा का 1/3 हक व हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। जिसके परिवर्तित आराजी नम्बर 68,69,70 हो चुके है, किशना एवं शंकर दोनो एक ही परिवार के होकर रेस्पोडेन्ट वादी छोगालाल किशना का पुत्र होकर एकमात्र वारिस है। अपीलान्टगण संख्या 1 से 5 शंकर के वारिसान है। किशना एवं शंकर के बीच आराजीयात को लेकर मौखिक विभाजन काफी अर्से पूर्व होकर विभाजन के अनुसार किशना के हक व हिस्से की आराजी नम्बर 55,57 पर अपीलान्ट प्रतिवादीगण के पिता शंकर पिता वरदा को दे दी व किश्ना पिता वरदा के साबिक आराजी नम्बर 37,38,39 दे दी। दोनो भाई इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर आराजी नम्बर 55,57 पर अपीलान्टस के पिता शंकर व आराजी नम्बर 37,38,39 के तीसरे हिस्से पर किशना पिता बरदा 40 वर्षो से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उसी अनुसार सम्पूर्ण आराजीयात मे से आराजी नम्बर 37,38,39 जिसके नवीन आराजी नम्बर 67,68,69 मे से 1/3 हक व हिस्सा मे अपीलान्ट प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दर्ज किया जावे। उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30/12/2015 को तामीले जारी की गयी जो प्रोपर तामील नही हुई। अपीलान्टगण के विरूद्ध प्रकरण मे एक तरफा कार्यवाही की जाकर उक्त प्रकरण को बिना साक्ष्य सबूत के लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना अपीलान्ट की उपस्थित व तामील के बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत मे तहत निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टस को लोक अदालत का किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया एवं न ही अपीलान्टस लोक अदालत मे उपस्थित ही हुए, फिर भी रेस्पोडेन्ट वादी ने गलत व्यक्ति को उपस्थित कर आदेशिका पर अपीलान्ट संख्या 1 के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर वादपत्र डिक्री करवा लिया। जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अपनी खातेदारी की आराजीयात के सम्बन्ध मे घोषणा का वादपत्र था, व रेस्पोडेन्ट वादी ने अपने वादपत्र मे यह कही अंकित नही करवाया कि उक्त आराजीयात बंटवाडे के

तहत रेस्पोडेन्ट वादी को प्राप्त हुई है। जबकि पक्षकारान के मध्य सन् 1986 मे ही बंटवाडा होकर पैतृक सम्पत्ति की आराजीयात का खाता अलग अलग हो चुका था व साबिक आराजी नम्बर 37,38,39 अपीलान्ट के पिता शंकर पिता वरदा के खरीदशुदा होकर अपीलान्टस के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्टस के खातेदारी मे होकर अपीलान्टस के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए उक्त आराजीयात को पैतृक सम्पत्ति होना मानते हुए बिना किसी साक्ष्य सबूत व राजीनामे के वादपत्र डिक्री कर दिया जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट बाद जानकारी अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली साक्ष्य मे चल रही थी इसी बीच इसे पंचायत मुख्यालय से भिन्न स्थान पर कैम्प मे निर्णित कर दी गई। जिसमे किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत नही हुआ है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। फलत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा प्रकरण 126/2015 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13/07/2016 अपास्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़